कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला–रायपुर (छ.ग)

क्रमांक /1645/न.पा.नि./लो.नि.वि./2017–18 बीरगांव, दिनांक 29/01/2018

निविदा आमंत्रण सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम क्षेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखो में)	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
01	विधायक निधि अन्तर्गत वार्ड क्रं. 40 मजदूर नगर दुलवर्ध कॉलोनी सरोरा, में रंगमंच निर्माण	3.00	19.02.2018

नोट :– उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **http://www.uad.cg.gov.in** पर तथा विभागीय वेबसाईट http:// **www.nagarnigambirgaon.com** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

पृ. क्रमांक /1646/न.पा.नि./लो.नि.वि./2017–18 बीरगांव, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, महापौर नगर पालिक निगम बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
02. प्रभारी सदस्य लोक निर्माण शाखा नगर पालिक निगम बीरगांव की ओर सूचनार्थ।
03. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित ।
04. श्री तोरण शर्मा, डाटा सेंटर नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को, विभागीय वेबसाईट **http://www.uad.cg.gov.in** में निविदा प्रकाशन करने हेतु सादर प्रेषित।
05. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को एक दैनिक समाचार पत्र में एक दिवस न्यूनतम स्पेश मे प्रकाशन हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव

निविदा की शर्ते

01. प्रत्येक निविदा हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।

02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

03. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम बीरगांव के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम बीरगांव हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

04. **निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु – (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन (2)पिछले 02 वित्तिय वर्ष का आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र (ITR) (3) वाणिज्यकर विभाग में जीवित पंजीयन (4) पेन कार्ड (05) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र (6) निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा शेडयूल बैंक की निर्धारित राशि की साल्वेन्सी (12 माह से अधिक पुरानी न हो) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, बैंक साल्वेंसी/बैंक गांरटी की राशि निम्नानुसार होगी :–**

01.	2.00 लाख से अधिक एवं 5.00 लाख के ठेको के लिये	25,000.00
02.	5.00 लाख से अधिक एवं 25.00 लाख के ठेको के लिये	3,00,000.00
03.	रू. 25.00 लाख से अधिक एवं रू. 50.00 लाख तक	5,00,000.00
04.	रू. 50.00 लाख से अधिक एवं रू. 200.00 लाख तक	12,00,000.00
05.	रू. 200.00 लाख से अधिक तक के ठेको के लिये	25,00,000.00

(7) टूल्स एण्ड टेकल्स प्रपत्र 2B में शासकीय/अर्धशासकीय विभाग के कार्यपालन अभियंता/समकक्ष अधिकारी अधिकारी से सत्यापित (8) रोड निर्माण हेतु फ्लोटर मशीन का स्वामित्व संबंधित बिल/कियायानामा (9) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प शपथ् पत्र (10) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, (11) कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड संबंधी प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेज निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन में उपरोक्तानुसार समस्त दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित प्रति प्रत्येक आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

06. अमानत राशि एफ.डी.आर./ टी.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।

07. निविदा चार लिफाफा पद्धति से होगा, जिसमे लिफाफा :–

(अ) निविदा प्रपत्र कीमत रसीद की मूलप्रति

या

वेब साइड से डाउनलोड किये हो तो निविदा प्रपत्र मूल्य का नगद रसीद/डी.डी./बैंकर्स चेक आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव के पक्ष में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ब) पात्रता हेतु कण्डिका 03 में उल्लेखित दस्तावेज एवं अमानत राशि ।

(स) निविदा प्रपत्र, जिसमें निविदाकार द्वारा दर उल्लेखित किया गया हो।

(द) तीनो लिफाफे (अ.ब.स.)अलग – अलग लिफाफे में सील, चपड़े से सीलकर स्पष्ट इंगीत करते हुए चौथे लिफाफे में सील, चपड़े से पुनः सीलकर विवरण इंगीत करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. सर्वप्रथम लिफाफा 'अ' खोला जाएगा, निविदा प्रपत्र के मूल्य प्राप्त होने की दशा में लिफाफा 'ब' खोला जाएगा एवं EMD एवं पात्रता का परीक्षण किया जाएगा तत्पश्चात् समस्त पात्र निविदा दाताओं का लिफाफा 'स' खोला जाएगा।

09. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक कण्डिका क्रं. 03 अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते है। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि तक निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।

10. छत्तीसगढ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट http:// www.nagarnigambirgaon.com/ अथवा संचालनालय की वेबसाईट http:// www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते है, उन्हे कण्डिका क्रं. 03 अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक – पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य की बराबर को डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। (कडिंका 05 अनुसार) निविदा पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्रं. 06 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. कार्य की लागत / मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
12. ठेकेदार द्वारा 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अधिकार पत्र दिये जाने पर ही उनके प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र दिया जा सकेगा। बिना अधिकार के प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
13. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
14. यदि स्थल पर उपयोग की गई सामग्री,सेम्पल सामग्रियों से निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो समस्त सामग्री तत्काल स्थल से हटाना होगा। जिसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
15. ठेकेदार को दी गई समयावधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से किये गये कार्य के मूल्य का छः प्रतिशत तक कटौती की जावेगी।
16. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान गुणवत्ताविहीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या गुणावत्ताविहीन समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान प्रदाय न किये जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिदिवस (निविदा प्रपत्र स (सी) अनुसार) की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
17. समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती है तथा पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
18. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैन्यूअल का पालन करना होगा ।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यो में फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– "सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।"
21. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय मान्य होगा।
22. प्राक्कलन के अनुसार कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावे, जिसमें कार्य के लागत, प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति, क्रियान्वयन एजेंसी, मजदूरी की दर, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता–दिनांक इत्यादि दर्शाया जावे, साथ ही कार्य स्थल पर निर्माण निरीक्षण पंजी रखी जावे।

23. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश नगर पालिका लेख नियम 1971 के नियम 139 (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि **" ऐसे व्यक्तियों को जो, किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि में पूरा करने में असफल हुए हो ठेका न दिया जावेगा "** ।

24. कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए आगामी निविदा में संबंधित को निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

25. **ठेकेदार को अपने फर्म संबंधी ई–मेल आई.डी. एवं बैंक संबंधीत सभी दस्तावेज (आई.एफ.एस.सी कोड/ अकाउन्ट नम्बर/ बैंक का नाम इत्यादी)देना अनिवार्य होगा।**

26. कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए आगामी निविदा में संबंधित को निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

27. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।

28. अन्य नियम व शर्ते से संबंधित जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव